

विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले
निरीक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान के अन्तर्गत पैकेज कमोडिटी, बाट, माप, तोल, उपकरणों का निरीक्षण, कम मात्रा में तोलना आदि का निरीक्षण संबंधी कार्य किया जाता है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किसी भी किसी भी निर्माता, डीलर, रिपेयर, पैकर्स का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण हेतु विधिक माप विज्ञान अधिकारी का चयन कम्प्यूटर द्वारा Randomly किया जायेगा। विधिक माप विज्ञान के अधिकारी द्वारा लगातार दो बार निरीक्षण सम्पादित नहीं किया जायेगा।

किसी भी संस्थान में निरीक्षण पर जाने वाले विधिक माप विज्ञान अधिकारी को संस्थान द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है:—

1. तौलने एवं मापने के उपकरणों की पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क की नगद रसीद/पुनः सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति।
2. तौलने एवं मापने के उपकरणों के आयातक/विनिर्माता/व्यवहारी का अनुज्ञापत्र की प्रति एवं स्टॉक रजि०।
3. पैकेज के संबंध में आयातक/पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच कर संस्थान को निरीक्षण टिप्पणी की प्रति दी जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घण्टे की अवधि में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर किया जायेगा



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)
निरीक्षण टिप्पणी

आज दिनांकसमय.....बजे, मैसर्स.....
.....पता.....
का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण संस्थान पर श्री.....
पुत्रश्री.....निवासी.....
.....उपस्थित मिले। जिन्होंने अपने आप को संस्थान.....
..... बताया। वक्त निरीक्षण संस्थान पर निम्नलिखित वस्तुस्थिति पायी
गयी।

विधिक मापविज्ञान अधिकारी

निरीक्षण के वक्त मांगे जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ।

1. तौलने एवं मापने के उपकरणों की पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क की नगद रसीद/पुनः सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति।
2. तौलने एवं मापने के उपकरणों के आयातक/विनिर्माता/व्यवहारी का अनुज्ञापत्र की प्रति एवं स्टॉक रजि०।
3. पैकेज के संबंध में आयातक/पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

